क्रम संख्या–147 पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 04 अक्टूबर, 2011 ई0
आश्विन 12, 1933 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 307 / XXXVI(3) / 2011 / 55(1) / 2011
देहरादून, 04 अक्टूबर, 2011

अधिसूचना

विविध

" भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार विधेयक, 2011"** पर दिनांक 04 अक्टूबर, 2011 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 20 वर्ष, 2011 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011
(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 20 वर्ष 2011)

उत्तराखण्ड राज्य की जनता को समयबद्ध रीति से सेवा उपलब्ध कराए जाने के लिए तथा उससे सम्बन्धित आनुषंगिक मामलों के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है;

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 है।

(2) यह उत्तराखण्ड राज्य के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

परिभाषाएं

2. जब तक कि प्रसंग या सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में:–

(क) **"आयोग"** से अधिनियम की धारा 12 के अधीन स्थापित आयोग अभिप्रेत है;

(ख) **"पदाभिहित अधिकारी"** से अधिनियम की धारा 3 के अधीन अधिसूचित कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) **"पात्र व्यक्ति"** से अधिनियम की धारा 3 के अधीन अधिसूचित सेवा को प्राप्त करने के लिए पात्र कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(घ) **"प्रथम अपीलीय प्राधिकारी"** से अधिनियम की धारा 3 के अधीन अधिसूचित कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(ङ) **"उपलब्ध समय सीमा"** से अधिनियम की धारा 3 के अधीन अधिसूचित पदाभिहित अधिकारी द्वारा सेवा को उपलब्ध कराने के लिए दिया गया अधिकतम समय अभिप्रेत है;

(च) **"विहित"** से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(छ) **"सेवा का अधिकार"** से उपलब्ध समय सीमा के भीतर सेवा को प्राप्त करने का अधिकार अभिप्रेत है;

(ज) **"सेवा"** से अधिनियम की धारा 3 के अधीन अधिसूचित सेवा अभिप्रेत है;

(झ) **"द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी"** से अधिनियम की धारा 3 के अधीन इस रूप में अधिसूचित कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ञ) **"धारा"** से इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है; और

(ट) **"राज्य सरकार"** से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;

पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी और उपलब्ध समय सीमा के लिए अधिसूचना

3. (1) राज्य सरकार, जिस पर यह अधिनियम लागू होगा, अधिसूचना द्वारा समय–समय पर सेवाओं को अधिसूचित कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी तथा उपलब्ध कराई गई समय सीमा विहित कर सकेगी।

सेवाओं का उपलब्ध कराया जाना

4. पदाभिहित अधिकारी उपलब्ध कराई गई समय–सीमा के भीतर पात्र व्यक्ति को सेवा उपलब्ध करायेगा।

सेवा को प्राप्त करने के लिए प्रकिया

5. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी सेवा को प्राप्त करने के लिए कोई पात्र व्यक्ति पदाभिहित अधिकारी को आवेदन करेगा।

(2) पदाभिहित अधिकारी उपधारा (1) के अधीन आवेदन पत्र प्राप्त होने पर दिए गए समय–सीमा के भीतर सेवा उपलब्ध करायेगा या आवेदन पत्र को खारिज करेगा तथा आवेदन पत्र को खारिज करने की दशा में कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करेगा और उससे आवेदक को सूचित करेगा।

(3) प्रत्येक पदाभिहित अधिकारी आवेदित सेवा के अभिलेख का विस्तृत विवरण ऐसे प्ररूप में, जैसा विहित किया जाय, अनुरक्षित करेगा।

प्रथम अपील

6. (1) कोई पात्र व्यक्ति, जिसका आवेदन धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन सेवा को प्राप्त करने के लिए खारिज कर दी गई हो या जो दिए गए समयावधि के भीतर सेवा को उपलब्ध नहीं कराता है, के लिए ऐसे खारिज करने की तारीख के तीस दिन के भीतर अथवा उपलब्ध कराई गई समय–सीमा की समाप्ति पर, जैसी स्थिति हो, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अपील योजित कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी अपील की प्राप्ति पर, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी मामले पर विचार करेगा और यदि उसकी राय में पात्र व्यक्ति के हित उचित प्रतीत होते हैं तो वह पदाभिहित अधिकारी को ऐसी अवधि के भीतर, जैसी वह विहित करे, सेवा उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दे सकेगा और किसी त्रुटि के मामले में उसके समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने तथा उसके कारणों को स्पष्ट करने के निर्देश दे सकेगा।

(3) पात्र व्यक्ति और पदाभिहित अधिकारी को सुनवाई का अवसर उपलब्ध कराए जाने के पश्चात्, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी या तो अपील को स्वीकार करने के लिए कोई आदेश पारित करेगा या लिखित रूप में उसके खारिज करने के आदेश पारित करेगा तथा खारिज करने की दशा में खारिज करने के कारणों को ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट करेगा एवं पात्र व्यक्ति को उसे संसूचित करेगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन कोई अपील उसकी प्राप्ति के तीस दिन के अवधि के भीतर यथासम्भव प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अन्तिम रूप से निस्तारित की जायेगी।